

महत्वपूर्ण  
संख्या— 575 / 68-3-2018-2041 / 2023

प्रेषक,  
यतीन्द्र कुमार,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,  
शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2023

विषय—अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—शि0नि0(बे0) / विधि—3 / 20857 / 2023—24, दिनांक—03.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मानक व शर्त विषयक शासनादेश संख्या—89 / अरसठ—3— 2018—2041 / 2018 दिनांक 11.01.2019 एवं संशोधित शासनादेश संख्या—196 / अरसठ—3—2020— 2041 / 2018 दिनांक 29 जून 2020 एवं शासनादेश संख्या—64 / अरसठ—3—2021—840 / 2020 दिनांक 11 फरवरी 2021 द्वारा निर्धारित की गयी थी।

2— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 में विहित प्राविधानों के दृष्टिगत तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या—4400 / 2019 एम / एस जी0एस0 कान्चेन्ट स्कूल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09. 2019 एवं रिट याचिका संख्या—6268 / 2023 पुष्टा देवी पी0डी0 विद्या मन्दिर बनियाखेड़ा सम्मल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन में प्रदेश में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं पूर्व में निर्गत विभागीय निर्देशों को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम—1972 की धारा—13 की उपधारा—1 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों को

अस्थायी / स्थायी मान्यता प्रदान करने के वर्तमान नियमों को निम्नानुसार बनाये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

## I— अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता प्राप्त हेतु मानक एवं शर्तेः—

- (1) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एकट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
- (2) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- (4) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
- (5) सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
- (6) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ—पत्र दिया जायेगा कि वह समय—समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगे।
- (7) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय—समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (8) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (9) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया—कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
- (10) विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिह्न (Logo) एवं नाम सुरूप रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग—रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (11) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

- (12) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा राज्य सरकार के निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(सी.) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ-पत्र दिया जायेगा।
- (14) आवेदन की अर्हता— शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालय को निम्न प्रकार की संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी:—
- (1) प्राथमिक विद्यालय—(प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें),
  - (2) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक / बालिका) (जू०हा०स्कूल स्तर की तीन कक्षायें)।
- (15) शिक्षा का माध्यम— हिन्दी/अंग्रेजी भाषा होगी तथा अकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- (16) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की मान्यता हेतु उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के साथ—साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:—
- “(क) भवन— विद्यालय न्यूनतम 30 फीट चौड़ी सड़क पर स्थापित होना चाहिए। विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा निजी भवन न होने की स्थिति में न्यूनतम 25 वर्ष की लीज पर ली गयी भूमि अथवा भवन होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जायेगा। प्रश्नगत प्रयोजनार्थ लीज पर ली गई भूमि विवाद रहित होनी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में लीज पर लिया गया भवन असुरक्षित एवं जर्जर स्थिति में नहीं होना चाहिए एवं पठन-पाठन के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होना चाहिए। स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जहां पर महा योजना/सेक्टर प्लान में भू-उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।”
- (ख) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन के सम्बन्ध में संबंधित सहायक अभियंता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जायेगा। विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निरीक्षण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भवन निर्माण का आवेदन किया जायेगा।

निरीक्षण लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता से अनिम्न अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं। एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ एवं रैम्प जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, अद्यतन नेशनल बिल्डिंग कोड में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकर्षिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(ग) दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।

(घ) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(ङ.) कक्षा-कक्ष का मानक:-

(I) प्राथमिक स्तर-

प्राथमिक विद्यालय की मान्यता के लिये के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से 20 छात्रों हेतु 180 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार 180 वर्ग फीट के पाँच कक्षा-कक्ष, एक स्टाफ कक्ष (150 वर्ग फीट), एक प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय कक्ष (150 वर्ग फीट) तथा इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 01 वैकल्पिक कक्ष (400 वर्ग फीट) अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे बच्चे कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/ छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।

(II) उच्च प्राथमिक स्तर-

उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय की मान्यता के लिये प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से 30 छात्रों हेतु 270 वर्ग फीट स्थान उपलब्ध होना चाहिए एवं उक्त आकार के तीन कक्षा-कक्ष, एक स्टाफ कक्ष (150 वर्ग फीट), एक प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय कक्ष (150 वर्ग फीट), एक विज्ञान प्रयोगशाला  $20 \times 30$  (600 वर्ग फीट) एवं इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के लिए वैकल्पिक कक्ष (400 वर्ग फीट) अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे बच्चे कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/

- (च) छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
- (छ) विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिये।  
प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।
- (ज) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।  
विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (झ) **क्रीड़ा स्थल:-** खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में निम्नवत् माप का क्रीड़ा स्थल होना आवश्यक है—

**नगरीय क्षेत्र-** प्राथमिक विद्यालय हेतु 500 वर्ग मीटर एवं जूनियर हाई स्कूल के लिए 1000 वर्ग मीटर।

**ग्रामीण क्षेत्र-** प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 वर्ग मीटर एवं जूनियर हाई स्कूल के लिए 2000 वर्ग मीटर।

- (ट) विद्यालय में पर्याप्त संख्या में पेड़-पौधे होने चाहिए, जिससे बच्चे प्राकृतिक वातावरण में पठन-पाठन की गतिविधियों पूर्ण कर सकें।
- (18) पुस्तकालय, साज-सज्जा एवं उपकरण:- विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त खेल-कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं आदि का होना भी आवश्यक है। विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण (Audio –Visual Instruments) आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
- (19) आवेदन शुल्कः— प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 5,000/- तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ₹0 10,000/- संबंधित जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।
- (20) सुरक्षित कोष— प्राथमिक विद्यालय हेतु सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की एन०एस०सी० / एफ०डी० जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज़ड होगी।
- (21) मान्यता समिति— प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा:-

- 1—संबंधित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी—  
 2—संबंधित जिले के मुख्यालय पर तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी—  
 3—संबंधित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रवक्ता—

अध्यक्ष

सदस्य/सचिव

सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगी, जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के मान्यता आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा:—

- 1— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)—  
 2— संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी —  
 3— जनपद के मुख्यालय पर तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी—

अध्यक्ष

सदस्य/सचिव

सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगी तथा बैठक का कार्यवृत्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। कार्यवृत्त की प्रतियों संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

- (22) स्टाफः— मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।  
 (23) कर्मियों को देय वेतन— मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।  
 (24) शिक्षकों की अर्हता :— प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वहीं होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली—1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली—1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होंगी।  
 (25) पाठ्य पुस्तकों— मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।  
 (26) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।  
 (27) विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

- (28) विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- (29) प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- (30) शुल्क / फीस मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे संबंधित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता हैः—  
 1— शिक्षण शुल्क, 2— मंहगाई शुल्क, 3— विकास शुल्क, 4— बिजली, पानी आदि, 5— क्रीड़ा शुल्क, 6— परीक्षा / मूल्यांकन, 7— विद्यालय समारोह / उत्सव, 8— विशेष विषयों की शिक्षा – कम्प्यूटर / संगीत आदि।
- नोटः— पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- (31) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा अन्य समस्त सदस्यों द्वारा अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड अथवा वोटर आईडी० विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।”
- (32) संबंधित विद्यालय / संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायस + से संबंधित सूचनायें / आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।

## II— पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु शर्तेः—

- (1) यदि पूर्व से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में हों, जिसके फलस्वरूप बच्चों के जान-माल का खतरा हो, तो वहां के प्रबन्धतंत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अविलम्ब किसी अन्य निकटवर्ती विद्यालय/विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जाय ताकि बच्चों के पठन-पाठन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना भी न रहे। इस संबंध में संबंधित संस्था को विद्यालय भवन को ठीक कराने हेतु 06 माह की समय सीमा निर्धारित करते हुए नोटिस दी जायेगी और यदि नोटिस में दी गयी अवधि के अन्तर्गत जर्जर/असुरक्षित विद्यालय भवन को प्रबन्धतंत्र द्वारा

प्रयोज्य नहीं बनाया जाता है तो संबंधित संस्था की मान्यता के प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

- (2) विद्यालय प्रबंधतंत्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के उपरान्त संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त, अद्यावधिक एवं क्रियाशील होने और भवन के पठन-पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में संबंधित विद्यालय/शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (3) जो विद्यालय/संस्था पूर्व से किराये के भवन में संचालित है तथा मान्यता विषयक अन्य समस्त मानकों/प्रतिबन्धों को पूर्ण करते हैं वे यथावत् संचालित रहेंगे बशर्ते उनके द्वारा भवन स्वामी के साथ एतद्विषयक एग्रीमेन्ट प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया हो जिसमें किरायेदारी से संबंधित समस्त शर्तें/प्रतिबन्ध सुस्पष्ट रूप से विहित हो।"

**III—मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी:-**

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा—सह आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा मान्यता संबंधी आवेदन पत्रों का निस्तारण समय—सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार ऑनलाइन ही किया जायेगा।

- (1) मान्यता हेतु आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन ही किया जायेगा—

1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	01 अप्रैल से 31 दिसम्बर
2.	बी0एस0ए0 द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को निरीक्षण हेतु अग्रसारण।	आवेदन की तिथि से 03 कार्यदिवस में।
3.	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण व आख्या उपलब्ध कराने हेतु।	आवंटन की तिथि से 10 कार्यदिवस में।
4.	समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को।	
5.	समिति द्वारा किसी आपत्ति की स्थिति में प्रबंधतंत्र को सूचित करने हेतु।	समिति की बैठक के 03 कार्यदिवस में।

6.	प्रबंधतंत्र द्वारा आपत्ति के निराकरण हेतु।	आपत्ति प्राप्त होने के 07 दिवस में।
7.	समिति द्वारा आवेदन पर अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु।	आपत्ति का उत्तर प्राप्त होने पर 05 कार्यदिवस में।
8.	मान्यता प्रदान किये जाने अथवा नहीं किये जाने के प्रबंध में प्रबंधतंत्र को सूचना देने हेतु।	समिति के निर्णय की तिथि से 02 कार्यदिवस में।

(2) विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के फोटोग्राफ्स भी लिये जायेंगे और अपनी रिपोर्ट के साथ संलग्न किये जायेंगे।

**नोट:-**मान्यता समिति की बैठकें प्रत्येक शुक्रवार को आहूत की जायेगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति द्वारा संस्तुति दी जायेगी, तत्पश्चात मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर अगली आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

#### IV- अस्थायी/स्थायी मान्यता-

निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी, एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।


#### V- विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण:-

- (1) जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्नवत् कार्यवाही करेगा:-
- (क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगा;

- (ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय या निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करायेगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा। समिति विद्यालय की सम्यक् जाँच कर, मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि से 20 दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। ऊपर सन्दर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का सम्यक् परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा:
- परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट का यह प्राधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा लें।
- (3) उपनियम (2) में सन्दर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्तुतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उक्त के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।
- (4) राज्य के शिक्षा विभाग के विनिश्चय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता रद्द करने का आदेश्यपरक आदेश विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के भीतर पारित करेगा। मान्यता रद्द किये जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचालित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालय भी विनिर्दिष्ट होंगे, जिनमें मान्यता रद्द किये गये विद्यालयों के बच्चों का प्रवेश किया जायेगा।
- (5) उपनियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।
- (6) मान्यता प्रत्याहरण विषयक उपर्युक्त कार्यवाही में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 (5) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- VI-** गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन अवैधानिक :-  
यदि प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन बिना किसी मान्यता के किया जा रहा है तो उसका संचालन नियम विरुद्ध एवं अवैधानिक समझा जायेगा। ऐसे

विद्यालयों के संचालन को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए संबंधित प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

- 3— यह आदेश नवीन मान्यता से सम्बन्धित समर्त प्रकरणों में लागू होगा।
- 4— कृपया उपर्युक्तानुसार मान्यता प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
  
(यतीन्द्र कुमार )  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—समर्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 2—समर्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3—महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 4—निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
- 5—अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 6—सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 7—समर्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र०।
- 8—समर्त प्रचार/उपप्रचार डायट, उ०प्र०।
- 9—समर्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 10—गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( शैलेश कुमार तिवारी )  
अनु सचिव।

- विद्यालयों के संचालन को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए संबंधित प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।  
 3— यह आदेश नवीन मान्यता से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में लागू होगा।  
 4— कृपया उपर्युक्तानुसार मान्यता प्रकरणों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( यतीन्द्र कुमार )  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1—समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
  - 2—समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
  - 3—महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
  - 4—निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
  - 5—अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
  - 6—सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
  - 7—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र०।
  - 8—समस्त प्रचार/उपप्रचार डायट, उ०प्र०।
  - 9—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
  - 10—गार्ड फाइल।

आज्ञा से

*Sh*  
( शैलेश कुमार तिवारी )  
अनु सचिव।